प्रेषक,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:– कृ.नि./ 726 /कृ.सां./कृ.बीमा/2016–17; देहरादून; दिनांक: 02/5/ अप्रैल, 2016

विषय:– राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 651/XIII-1/2016–1(3)/2002 दिनांक 29 अप्रैल 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ 2016 मौसम में लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है।

भारत सरकार के पत्र संख्या–13015/03/2016–क्रेडिट–II दिनाक 23 फरवरी, 2016 द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को प्रदेश में खरीफ 2016 मौसम में लागू किये जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देशों एवं व्यवस्थाओं के अनुक्रम में दिनांक 04–03–2016 को आयोजित राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार फसल चावल व मण्डुवा के लिये कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुति पत्रांक–कृ.नि./9026/कृ.सां./PMFBY/2016–17 दिनांक 30 मार्च, 2016 के आधार पर उक्त योजना को खरीफ 2016 मौसम में फसल चावल तथा मण्डुवा पर प्रदेश के समस्त जनपदों में निम्न दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के साथ लागू की जानी है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में दो क्लस्टर यथा गढ़वाल मण्डल तथा कुमाऊं मण्डल बनाये गये हैं। दोनों क्लस्टरों में योजना का संचालन एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. के माध्यम से किया जायेगा। यह योजना ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य है तथा गैर ऋणी कृषकों के लिए स्वैच्छिक है। सभी वित्तीय संस्थानों का दायित्व है कि संसूचित क्षेत्रों में संसूचित फसल चावल व मण्डुवा के लिए ऋण वित्तमान के अनुसार अनिवार्य रूप से पात्र कृषकों का बीमा करें। किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) द्वारा दिये गये ऋण भी ऋण वित्तमान के अनुसार अनिवार्य रूप से योजना के प्राविधान के अनुसार शामिल है। **संसूचित क्षेत्रों (Notified Areas) में धान एवं मण्डुवा की फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान निम्न आधार पर सम्मिलित माने जायेंगे :–**

(क) अनिवार्य आधार पर (ऋणी किसान): सभी किसान जो संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल चावल व मण्डुवा उगा रहे हैं और उन्हें वित्तीय संस्थानों जैसे सहकारी समितियों, व्यवसायिक, क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों से मौसमी कृषि प्रचालन ऋण हेतु ऋण की सीमा दिनांक 31/7/2016 तक स्वीकृत की गयी हो तथा उन्होने 01 अप्रैल, 2016 से 31 जुलाई, 2016 तक फसल चावल एवं मण्डुवा के लिये ऋण लिया हो, यथा ऋणी किसान।

(ख) स्वैच्छिक आधार पर (अऋणी किसान): संसूचित क्षेत्रों में संसूचित फसल चावल तथा मण्डुवा उगाने वाले अन्य किसानों के लिये योजना स्वैच्छिक है। ऐसे कृषकों के लिए वित्तीय संस्थानों/इंश्योरेंस कम्पनी के

अधिकृत बीमा इन्टरमिडियरिज/सीधे तौर पर बीमा कम्पनी के कार्यालय को प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करने कि अंतिम तिथि 31/7/2016 तक निर्धारित की गई है।

(ग) बीमित राशि: ऋणी और गैर ऋणी कृषकों के लिये बीमा राशि प्रति हेक्टेयर संसूचित फसल के जिलेवार ऋण वित्तमान के अनुसार होगी। ऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि ऋण वित्तमान को संसूचित फसल के क्षेत्रफल से गुणा करके निर्धारित किया जायेगा तथा गैर ऋणी कृषकों की बीमित राशि सम्बन्धित कृषक द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रफल को ऋण वित्तमान से गुणा करके बीमित राशि निकालकर आच्छादन किया जायेगा।

2. खरीफ 2016 में योजना जिन क्षेत्रों में संचालित की जायेगी से सम्बन्धित संसूचित क्षेत्रों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–1 तथा परिशिष्ट–2 में अंकित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल चावल एवं मण्डुवा हेतु जनपद, क्षतिपूर्ति स्तर, बीमांकिक प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा देय प्रीमियम, प्रीमियम सब्सिडी में राज्यांश एवं केन्द्रांश तालिका में निम्नानुसार दिये गये हैं:

फसल– चावल

इन्डेमिनिटी स्तर–90%

क्र. सं.	जनपद	बीमांकिक प्रीमियम दर प्रतिशत में	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर प्रतिशत में	प्रीमियम सब्सिडी प्रतिशत में		बीमित राशि (रूपये/हे.)
				केन्द्रांश	राज्यांश	
1	चमोली	1.19	1.19	-	-	37800
2	देहरादून(पर्व)	1.19	1.19	-	-	68500
3	देहरादून(मै0)	1.94	1.94	-	-	68500
4	हरिद्वार	2.14	2.00	0.07	0.07	62500
5	पौड़ी गढ़वाल	1.70	1.70	-	-	35000
6	रूद्रप्रयाग	1.24	1.24	-	-	37000
7	टिहरी गढ़वाल	1.90	1.90	-	-	35960
8	उत्तरकाशी	1.80	1.80	-	-	66555
9	अल्मोड़ा	1.25	1.25	-	-	40000
10	बागेश्वर	1.00	1.00	-	-	34763
11	चम्पावत	1.25	1.25	-	-	37018
12	नैनीताल(पर्व0)	1.25	1.25	-	-	70000
13	नैनीताल(मै0)	1.25	1.25	-	-	70000
14	पिथौरागढ़	0.90	0.90	-	-	37500
15	ऊधमसिंहनगर	0.95	0.95	-	-	75000

फसल– मण्डुवा

इन्डेमिनिटी स्तर–90%

क्र. सं.	जनपद	बीमांकिक प्रीमियम दर प्रतिशत में	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर प्रतिशत में	बीमित राशि (रूपये/हे. में)
1	चमोली	0.36	0.36	20000
2	देहरादून(पर्व)	0.46	0.46	25700
3	पौड़ी गढ़वाल	0.46	0.46	20000
4	रूद्रप्रयाग	0.36	0.36	20000
5	टिहरी गढ़वाल	0.36	0.36	35960
6	उत्तरकाशी	0.32	0.32	28540
7	अल्मोड़ा	0.56	0.56	19050
8	बागेश्वर	0.78	0.78	18375
9	चम्पावत	1.80	1.80	28000
10	नैनीताल(पर्व0)	1.25	1.25	40000
11	पिथौरागढ़	1.00	1.00	34000

3. प्रस्तावों तथा बीमा शुल्कों (प्रीमियम) का एकत्रीकरण एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा घोषणा पत्रों का प्रेषण:

(क) खरीफ 2016 मौसम में सभी किसान जो संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल चावल एवं मण्डुवा उगा रहे हैं और उनकी वित्तीय संस्थानों जैसे सहकारी समितियों, व्यवसायिक, क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों से मौसमी कृषि प्रचालन ऋण हेतु ऋण की सीमा दिनांक 31/07/2016 तक स्वीकृत की गयी है, आवरण के पात्र होंगें। जब कभी बैंक बीमा योग्य फसल चावल एवं मण्डुवा के लिए ऋण सीमा स्वीकृत/ऋण वितरित करेगा बीमा शुल्क (प्रीमियम) की राशि सम्बन्धित किसानों के खाते से डेबिट करेगा तथा यह राशि अतिरिक्त ऋण के रूप में मानी जायेगी। गैर ऋणी कृषकों के लिए वित्तीय संस्थानों, इंश्योरेंस कम्पनी के अधिकृत बीमा इन्टरमिडियरिज या सीधे तौर पर बीमा कम्पनी के कार्यालय को प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करने कि अंतिम तिथि 31.07.2016 तक निर्धारित की गई है। इस श्रेणी के कृषक योजना में सम्मिलित होने के लिए स्वप्रमाणित भू–अभिलेख के साथ बीमा प्रस्ताव पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र के साथ संसूचित फसल का बीमा आवरण प्राप्त करेगें। बीमा कम्पनी स्वप्रमाणित भू–अभिलेख का मिलान देवभूमि उत्तराखण्ड के आनलाइन रिकार्डस ऑफ राइट्स से सत्यापित कर सकती है। गैर ऋणी कृषकों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। प्रस्ताव पत्र और बीमा शुल्क स्वीकार करते समय वित्तीय शाखा बीमे की रकम इसकी सीमा और लागू बीमा शुल्क आदि का ब्यौरा सत्यापित करेंगी। बैंक शाखा फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा संसूचित क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण, कृषकों की सूची एवं प्रीमियम डी.डी. तैयार करेगी तथा आगामी माह की 15 तारीख तक क्रियान्वयक अभिकरण (एजेंसी) को प्रेषित करेगी। जिला सहकारी बैंक के परिपेक्ष्य में जिला स्तर पर स्थापित प्रधान कार्यालय के माध्यम से फसल बीमा के आवश्यक प्रपत्र एवं प्रीमियम डी.डी. क्रियान्वयक अभिकरण को प्रेषित किये जायेंगे। घोषणा पत्र प्रीमियम डी. डी. एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र क्रियान्वयक अभिकरण को प्राप्त होने की अंतिम तिथि ऋणी तथा गैर ऋणी कृषकों के लिए 15 अगस्त 2016 है।

(ख) वित्तीय संस्थाऐं समस्त ऋणी तथा अऋणी आच्छादित कृषकों की सूची जिसमें कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, न्यायपंचायत, तहसील, बैंक खाता संख्या, कृषक श्रेणी–लघु एवं सीमान्त/अन्य, महिला/पुरूष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य, बीमित राशि एवं देय प्रीमियम का विवरण निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कम्पनी को हार्ड एव सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेगीं तथा कृषकवार विवरण फारमर पोर्टल पर अपलोड करेंगी।

क्रियान्वयक अभिकरण से जानकारी/पत्राचार हेतु सूचना निम्नानुसार है:–

क्रियान्वयक अभिकरण	पत्राचार का पता	मोबाइल नम्बर/ फैक्स नम्बर	ई.मेल
एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. (ए.आई.सी.)	डॉ एस. प्रसाद, क्षेत्रीय प्रबन्धक, ए.आई.सी. क्षेत्रीय कार्यालय, 56 राजपुर रोड, क्लासिक होटल के पीछे, देहरादून।	9411393141 0135–2740233 0135–2740244	ro.dehradun@aicofindia.com

4. क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया:– योजना के प्राविधानों के अनुसार फसल के नुकसान का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा।

(अ) फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में (क्षेत्र आधारित): राज्य सरकार फसल पैदावार के अनुमान के लिये अधिसूचित बीमा एककों में अधिसूचित फसल के लिये फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित

संख्या नियोजित तथा आयोजित करेगी। राज्य सरकार फसल उत्पादन अनुमानों (General Crop Estimation Surveys- GCES) तथा फसल बीमा दोनों के लिये फसल कटाई प्रयोगों तथा परिणामात्मक पैदावार अनुमानों की एकल श्रृंखला तैयार करेगी। फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर अन्तिम क्षतिपूर्ति का निर्धारण होगा।

(ब) **फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण:** फसल की अवधि (Crop Duration) में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, लम्बी सूखे की दशा, भंयकर सूखा आदि होता है तो सम्भावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा भुगतान मौसम के दौरान किया जा सकता है यदि संसूचित क्षेत्र में अनुमानित उपज थ्रेसहोल्ड उपज के 50% से कम है। इस तरह की क्षतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित राज्य सरकार एवं बीमा कम्पनी मिलकर (Jointly) सर्वेक्षण कर निर्धारित करेंगी। इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े, उपग्रह चित्रण अथवा अन्य प्रॉक्सी संकेतों आदि को आधार माना जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर मौसम के आंकड़ों के लिए भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के उपलब्ध मौसम केन्द्रों से प्राप्त जिलेवार मौसम के आंकड़ों का उपयोग किया जायेगा। मध्यावधि क्षतिपूर्ति भुगतान राशि, अन्तिम उपज आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायेगी। यदि उक्त स्थिति सामान्य फसल कटाई अवधि के 15 दिन के भीतर होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा।

(स) **बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति/बुवाई का फेल हो जाना (Prevented Sowing/Sowing Failure) (क्षेत्र आधारित):** अल्पवृष्टि/अतिवृष्टि अथवा अन्य मौसम कारकों के विपरीत प्रभाव के कारण बुवाई न हो पाने की स्थिति में बीमा राशि का अधिकतम 25% तक का दावा भुगतान किया जा सकता है यदि किसी संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल की बुवाई की जाने वाले क्षेत्रफल में से 75 प्रतिशत क्षेत्रफल पर बुवाई नहीं होती है। इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़ों को आधार माना जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर मौसम के आंकड़ों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के जिलेवार उपलब्ध मौसम केन्द्रों के आंकड़ों का उपयोग किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत दावा भुगतान के पश्चात् सम्बन्धित इकाई क्षेत्र में किसान उपज आधारित दावा के लिए पात्र नहीं होंगें। उक्त स्थिति यदि 15 जुलाई तक होती है तो उपरोक्त प्राविधान को सम्मिलित किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा।

(द) **स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति का आकलन:** स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इन स्थानिक जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/ क्रियान्वयक अभिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल और अनिवार्य रूप से 48 घन्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। हानि सम्बन्धी सूचना मिलने पर क्रियान्वयक अभिकरण फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक/Technical Personnel of the Company को भेजेगी। जनपद में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयक अभिकरण की सहायता करेगा। यदि संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र संसूचित फसल के अन्तर्गत प्रभावित होता है तो उस संसूचित क्षेत्र के सभी प्रभावित बीमित कृषक वित्तीय सहायता के लिये पात्र माने जायेंगे जिनके

द्वारा निश्चित अवधि में फसल नुकसान होने की सूचना दी गयी है। इस परिपेक्ष्य में सैम्पल सर्वे करके हानि प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा।

(य) **फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने के लिये बिखेर कर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण (Post Harvest Losses)**: प्राकृतिक आपदायें यथा चक्रवात, चक्रवाती बारिश तथा बेमौसमी बारिश के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, यदि कटी हुई फसल खेत में अधिकतम 14 दिन तक सूखने के लिए बिखेर कर रखी जाती है तथा इस अवधि में उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इन जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/क्रियान्वयक अभिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल एवं अनिवार्य रूप से 48 घन्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। हानि सम्बन्धी सूचना मिलने पर क्रियान्वयक अभिकरण फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक/Technical Personnel of the Company को भेजेगी। जनपद में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयक अभिकरण की सहायता करेगा। यदि संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र संसूचित फसल के अन्तर्गत प्रभावित होता है तो उस संसूचित क्षेत्र के सभी प्रभावित बीमित कृषक वित्तीय सहायता के लिये पात्र माने जायेंगे जिनके द्वारा निश्चित अवधि में फसल नुकसान होने की सूचना दी गयी है। इस परिपेक्ष्य में सैम्पल सर्वे करके हानि प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा।

5. क्रियान्वयन अभिकरणों से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होने के पश्चात वित्तीय संस्थानों द्वारा एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित धनराशि कृषकों के खातों में क्रेडिट करते हुए लाभान्वित कृषकों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा जिसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ 15 दिनों के अन्दर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में बीमा कम्पनी को प्रेषित करेंगे।

6. **बैंक सेवा शुल्क:** वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रेषित कुल प्रीमियम (Farmer's Share) पर 4.0% की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

7. **उत्पादकता के आंकड़ों का प्रेषण:** खरीफ 2016 में कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा चयनित फसल (धावल तथा मण्डुवा) के आंकड़े क्रियान्वयक अभिकरण को 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराये जायेंगे।

8. जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति (जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य कृषि अधिकारी सदस्य सचिव, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, जिला सहकारी बैंक, जिला अग्रणी बैंक, सहायक निबंधक सहकारिता तथा क्रियान्वयक अभिकरण के प्रतिनिधि सदस्य नामित किये गये हैं) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पाक्षिक/मासिक प्रगति की संसूचित क्षेत्रवार विस्तृत समीक्षा करेगी तथा योजना में अधिक से अधिक कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करेगी। फसल की स्थिति, बैंकों द्वारा बीमा आच्छादन तथा फसली ऋण की स्थिति पर पाक्षिक/मासिक प्रगति समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट उत्तराखण्ड शासन तथा प्रतिलिपि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करेगी और यह समिति खण्ड विकास अधिकारियों एवं बहुद्देशीय कर्मियों की इस योजना में पूरी सहभागिता हेतु प्रभावी निर्देश निर्गत करेगी।

9. जिलाधिकारी राजस्व विभाग के प्राथमिक कर्मचारियों के माध्यम से क्राप–कटिंग के प्रयोगों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करायेंगे तथा इस संदर्भ में जिला स्तर पर क्राप–कटिंग की समय समय पर समीक्षा भी करेंगे।

10. क्रियान्वयक अभिकरण के प्रतिनिधियों को फसल कटाई प्रयोगों में सहभागिता एवं इस तरह के प्रयोगों के स्थलीय निरीक्षण तथा प्रारूपों को देखने हेतु अनुमति होगी।

11. राज्य में जिलेवार उपलब्ध भारतीय मौसम विभाग के मौसम केन्द्र/कृषि संस्थानों एवं अन्य सरकारी विभाग के मौसम केन्द्र जिनके आंकड़े (प्राथमिक तौर पर वर्षा के आंकड़े) Mid Season Advesity एवं Sowing Failure के परिपेक्ष्य में क्षतिपूर्ति निर्धारण करने के लिए प्रॉक्सी इन्डीकेटर के रूप में उपयोग किये जायेंगे। यदि सन्दर्भित मौसम केन्द्रो से आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते है तो बैक–अप मौसम केन्द्रो के आंकड़ो का उपयोग किया जायेगा। किन्हीं कारणवश यदि बैकअप मौसम केन्द्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य नजदीकि मौसम केन्द्र के आंकड़े कृषि विभाग की सहमति से उपयोग में लाये जायेंगे। सन्दर्भित मौसम केन्द्र तथा बैक–अप मौसम केन्द्र क्रमशः जनपद अल्मोड़ा के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. मटेला, वी.पी.के. ए.एस. हवालबाग, जनपद बागेश्वर के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. कपकोट, वी.पी.के.ए.एस. हवालबाग, जनपद पिथौरागढ के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पिथौरागढ़, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. मुनस्यारी, जनपद चम्पावत के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. चम्पावत, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पिथौरागढ़, जनपद नैनीताल पर्वतीय के लिए– आई.एम.डी. मुक्तेश्वर, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. नैनीताल, नैनीताल मैदानी के लिए– आई. एम.डी. पंतनगर, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रपुर, आई.एम.डी. पंतनगर, जनपद देहरादून पर्वतीय के लिए आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. त्यूनी, आई.एम.डी.ए. डब्लू.एस. पुरोला, जनपद देहरादून मैदानी के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. जौलीग्रान्ट, आई.एम.डी. देहरादून, जनपद हरिद्वार के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूड़की, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. धनौरी, पौड़ी गढ़वाल के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. भरसार, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रप्रयाग, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. भरसार, जनपद चमोली के लिए– आई.एम. डी.ए.डब्लू.एस. चमोली, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. जोशीमठ, जनपद टिहरी गढ़वाल के लिए– आई.एम.डी. न्यू टिहरी, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. सानीचौरी तथा जनपद उत्तरकाशी के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. उत्तरकाशी, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पुरोला हैं।

12. भारतीय रिज़र्व बैक/नाबार्ड द्वारा योजना के संबंध में जारी दिशा–निर्देश के क्रम में इस योजनान्तर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिसूचित फसलों हेतु ऋण लेने वाले समस्त कृषकों को अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जायेगा। अतः वित्तीय संस्थाओं द्वारा उक्त दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. राज्य सरकार एवं क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा अधिसूचना से संबंधित सभी सूचनायें फार्मर पोर्टल www.agri-insurance.gov.in में निश्चित समयावधि में अपलोड किया जायेगा।

14. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार–प्रसार अधिसूचित जनपदों में क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी के सहयोग से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग, न्याय पंचायत प्रभारी (कृषि)/सहायक कृषि विकास अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों एवं बहुद्देशीय कर्मियों की भी इस कार्य हेतु मदद ली जायेगी।

15. योजना को भली भांति लागू करने हेतु क्रियान्वयन एजेंसी समस्त जनपदों के बैंकों में रैण्डम आधार पर सत्यापन कार्य करेगी तथा सूचना कृषि निदेशालय/शासन को प्रेषित करेगी। इसके साथ ही प्रत्येक माह संसूचित क्षेत्रवार बीमित कृषकों का विवरण बीमित धनराशि आदि की सूचना निर्धारित रूपपत्रों पर कृषि निदेशक, मुख्य कृषि अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

16. योजना के अन्य प्राविधानों जो सर्वमान्य तथा केवल पालन करने योग्य हैं, भारत सरकार के निर्देशानुसार पालन किये जायेंगे।

संलग्नक: परिशिष्ट–1 तथा 2

भवदीय,

(गौरी शंकर)
निदेशक, कृषि

पत्रांक:– कृ.नि./ /कृ.सां./कृ.बीमा/2016–17; देहरादून; दिनांक: अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1 सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2 अपर/संयुक्त सचिव, क्रेडिट–II, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
3 अपर आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
4 श्री सुनील कुमार, सहायक निदेशक, क्रेडिट–II, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5 अध्यक्ष राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, लाडपुर, देहरादून।
6 अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7 अपर मुख्य सचिव, उद्यान उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8 सचिव, वित्त/सहकारिता उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
9 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
10 निबंधक सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
11 निदेशक कृषि/उद्यान/मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड।
12 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13 अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांऊ मण्डल, हल्द्वानी ।
14 समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15 समस्त अग्रणी बैंक प्रबंधक, उत्तराखण्ड।
16 समस्त सहायक निबंधक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
17 समस्त सचिव/महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
18 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तेहरवीं मंजिल, अम्बादीप बिल्डिंग, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली ।
19 क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 56 राजपुर रोड, क्लासिक होटल के पीछे, देहरादून।
20 महाप्रबन्धक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, राजपुर रोड़, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय–समय पर वित्तीय संस्थाओं को योजना सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी कराने का कष्ट करें ।
21 अध्यक्ष, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून।
22 उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार, डिफेंस कालोनी, सी–15, सेक्टर–1, देहरादून।
23 निबंधक सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड/अतिरिक्त निबंधक सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड ।
24 मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, होटल सनराईज, राजपुर रोड़, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि समय–समय पर योजना की समीक्षा करने का कष्ट करें साथ ही साथ नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धकों को योजना की क्रियाशीलता के लिए निर्देश जारी करें।

25 सहायक महाप्रबन्धक/संयोजक, उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जोनल कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, 1–न्यू कैंट रोड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि इस सम्बन्ध में सभी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एवं नाबार्ड के दिशानिर्देशों के साथ पत्र जारी करते हुए योजना की समय–समय पर समीक्षा करने का कष्ट करें ।

26 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,उत्तराखण्ड/बैंक ऑफ बड़ौदा, हल्द्वानी एवं देहरादून/पंजाब नैशनल बैंक, देहरादून, काशीपुर एवं हरिद्वार।

27 उपमहाप्रबंधक, केनरा बैंक, देहरादून/इलाहाबाद बैंक, घण्टाघर, देहरादून/पंजाब एण्ड सिंध बैंक, देहरादून/ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स, देहरादून।

28 समस्त बैंक नियंत्रक, उत्तराखण्ड।

29 निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

भवदीय,

(गौरी शंकर)
निदेशक, कृषि
उत्तराखण्ड।

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड के मैदानी जनपदों में खरीफ 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु संसूचित क्षेत्र।

फसल– चावल

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	संसूचित न्यापंचायत
1	देहरादून (मैदानी)	1	मियांवाला + मारखमग्रान्ट
		2	रायपुर + गुजराडामान सिंह
		3	अजबपुर खुर्द + सेवलाकलां
		4	भगवन्तपुर + पण्डितवाडी
		5	एनफील्ड ग्रान्ट
		6	धर्मावाला + सभावाला
		7	सोरना + लांघा
		8	भाऊवाला + सहसपुर
		9	झाझरा + आमवाला
		10	भनियावाला + श्यामपुर
		11	रानीपोखरी ग्रान्ट
		12	थानों + सरौना
2	हरिद्वार	1	भौरी + दौलतपुर
		2	खाताखेडी + नन्हेडा अनन्तपुर
		3	बेलडा + खजूरपुर
		4	ताशीपुर + पनियाला चन्दापुर
		5	ईमलीखेडा धर्मपूर
		6	भगवानपुर
		7	अकौढा औरंगजेबपुर
		8	गुन्डाखेडाकला
		9	भीकमपुर जीतपुर + रायसी
		10	सुल्तानपुर आदमपुर
		11	निरंजनपुर
		12	बहादुरपुरखादर
		13	मो.पुर बुजुर्ग
		14	खानपुर + पोडोवाली
		15	गोरधनपुर
		16	लिबरहेडी
		17	गुन्डलाना
		18	ढन्डेरा
		19	गाधोरोना
		20	लाठरदेवाहूण + मख्दूमपुर
		21	मो0पुर जट + कल्याणपुर उर्फ नारसनकला
		22	कोटामुरादनगर + औरंगाबाद
		23	रणसुरा
		24	जमालपुरकला
		25	सलेमपुरमहदूद + बहादराबाद
		26	बादशाहपुर

		क्र.सं.	संसूचित न्यायपंचायत
	हरिद्वार	27	फेरूपुर रामखेड़ा
		28	लालबाग
		29	चुड़ियाला मोहनपुर
		30	मलस्वागाजा
		31	खाड़ाजलालपुर + हबीबपुरनवादा
		32	सिकन्दरपुर भैंसवाला + चौली शाहबुदीनपुर
		33	खेड़ीसिकोहपुर + नौकराग्रान्ट
3	नैनीताल (मैदानी)	1	कालाढूंगी
		2	बैलपड़ाव
		3	गिन्तिगांव
		4	बमौरी
		5	कुंवरपुर
		6	लाखनमण्डी
		7	हरीपुर बची
		8	देवलचौड़
		9	गुनीपुर जीवानन्द
		10	छोई
		11	चिल्किया
		12	सांवल्दे
		13	जोगीपुरा
4	उधमसिंहनगर	1	खेतलसंडाखाम
		2	बन्डिया
		3	झनकट
		4	बिगराबाग
		5	सिसौना
		6	कल्याणपुर
		7	नानकमत्ता
		8	बिरिया
		9	बिगवाड़ा + नारायणपुर
		10	दरऊ + बण्डिया
		11	बरा
		12	आनन्दखेड़ा
		13	बराखेड़ा
		14	गोविन्दपुर
		15	सरकड़ी + सरकड़ा
		16	बरहनी
		17	चकरपुर
		18	कुण्डेश्वरी
		19	खड़कपुर
		20	बांसखेड़ा
		21	पूरनपुर
		22	मेघावाला
		23	अहमदनगर
		24	भरतपुर

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में खरीफ 2016 में फसल चावल हेतु संसूचित क्षेत्र।

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	तहसील
1	चमोली	1	चमोली+जोशीमठ
		2	पोखरी+घाट
		3	कर्णप्रयाग
		4	थराली
		5	गैरसैंण+आदिबद्री
2	देहरादून (पर्व0)	1	त्यूणी+ चकराता
		2	कालसी
3	पौड़ी गढ़वाल	1	पौड़ी + श्रीनगर
		2	थलीसैंण+चाकीसैण
		3	लैंसडौन
		4	सतपुली+चौबट्टाखाल
		5	धुमाकोट
		6	कोटद्वार
		7	यनकेश्वर
4	रुद्रप्रयाग	1	ऊखीमठ+बसुकेदार
		2	जखोली
		3	रुद्रप्रयाग
5	टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्रनगर
		2	गजा
		3	टिहरी+काण्डीसौड़
		4	घनसाली
		5	जाखणीधार
		6	धनोल्टी+नैनबाग
		7	देवप्रयाग
		8	प्रतापनगर
6	उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी
		2	डुण्डा
		3	चिन्यालीसौड़
		4	बड़कोट
		5	पुरोला+मोरी

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में खरीफ 2016 में फसल चावल हेतु संस्तुचित क्षेत्र।

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	तहसील
7	अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा+सोमेश्वर
		2	स्याल्दे+धौलछीना
		3	भिकियासैण
		4	सल्ट
		5	मनोली
		6	जैंती+लमगड़ा
		7	रानीखेत
		8	चौखुटिया
		9	द्वारहाट
8	बागेश्वर	1	बागेश्वर+दुकनाकुरी
		2	गरूड़+काफलीगैर
		3	कपकोट+काण्डा+शामा
9	चम्पावत	1	चम्पावत+पूर्णागिरी
		2	लोहाघाट
		3	पाटी+बाराकोट
10	नैनीताल(पर्व0)	1	नैनीताल
		2	धारी
		3	बेतालघाट+कोश्याकुटोली
11	पिथौरागढ	1	पिथौरागढ़
		2	गंगोलीहाट+गणाईगंगोली
		3	डीडीहाट
		4	कनालीछीना+देवलथल
		5	मुनस्यारी+बंगापानी
		6	धारचूला+बेरीनाग

परिशिष्ट–2

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में खरीफ 2016 में फसल मण्डुवा हेतु संसूचित क्षेत्र।

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	तहसील
1	चमोली	1	चमोली+जोशीमठ+पोखरी+घाट
		2	कर्णप्रयाग+गैरसैंण+आदिबद्री
		3	थराली
2	देहरादून (पर्व0)	1	त्यूणी+ चकराता
		2	कालसी
3	पौड़ी गढ़वाल	1	पौड़ी + श्रीनगर
		2	थलीसैंण+चाकीसैण
		3	लैंसडौन
		4	सतपुली+चौबट्टाखाल
		5	धुमाकोट
		6	कोटद्वार
		7	यमकेश्वर
4	रूद्रप्रयाग	1	ऊखीमठ+बसुकेदार
		2	जखोली
		3	रूद्रप्रयाग
5	टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्रनगर+गजा
		2	घनसाली
		3	जाखणीधार
		4	धनोल्टी+नैनबाग
		5	टिहरी+काण्डीसौड़
		6	देवप्रयाग
		7	प्रतापनगर
6	उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी
		2	डुण्डा
		3	चिन्यालीसौड़
		4	बड़कोट
		5	पुरोला+मोरी

परिशिष्ट-2

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में खरीफ 2016 में फसल मण्डुवा हेतु संसूचित क्षेत्र।

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	तहसील
7	अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा+सोमेश्वर+चौलछीना
		2	रानीखेत+द्वाराहाट+चौखुटिया
		3	भिकियासैण+स्याल्दे
		4	सल्ट
		5	जैंती+भनोली+लमगड़ा
8	बागेश्वर	1	बागेश्वर+गरूड़+काफलीगैर+दुकनाकुरी
		2	कपकोट+काण्डा+शामा
9	चम्पावत	1	चम्पावत+पूर्णागिरी
		2	लोहाघाट+पाटी+बाराकोट
10	नैनीताल(पर्व0)	1	नैनीताल
		2	धारी
		3	बेतालघाट+कोश्याकुटोली
11	पिथौरागढ़	1	पिथौरागढ़
		2	गंगोलीहाट+गणाईगंगोली
		3	डीडीहाट+कनालीछीना+देवलथल
		4	मुनस्यारी+बंगापानी
		5	धारचूला+बेरीनाग

संख्याः 651 /XIII-1/2016-1(3)2002

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 29 अप्रैल, 2016

विषयः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ-2016 से लागू किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-कृ0नि0/346/PMFBY/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 तथा प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2016 मौसम से लागू किए जाने संबंधी भारत सरकार के पत्र सं0-13015/03/2012-Credit II दिनांक 23 फरवरी, 2016 एवं इस संबंध में शासन स्तर पर दिनांक 04.03.2016 को खरीफ-2016 के संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक के कार्यवृत्त सं0-518/XIII-1/2016-1(3)2002 दिनांक 15 मार्च, 2016 में लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ-2016 से लागू किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.02.2016 के दिशा-निर्देशानुसार एवं योजना के परिपालन निर्देशों के अनुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ-2016 से लागू किए जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

29/4/2016

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

क्रमशः.....2

संख्याः ✓/XIII-1/2016–1(3)2002/तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. अपर सचिव, क्रेडिट–II, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
3. अपर आयुक्त, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/वित्त/सहकारिता/उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी बोर्ड, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर।
10. महाप्रबन्धक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, होटल मधुबन, राजपुर रोड, देहरादून।
11. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, होटल सनराइज, राजपुर रोड, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।
13. अध्यक्ष, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून।
14. लीड बैंक अधिकारी, पी0एन0बी0 देहरादून।
15. उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार, 5 इन्दिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर माजरा, देहरादून।
16. संयोजक, उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जोनल कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक, 1, न्यू कैन्ट रोड, देहरादून।
17. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इन्श्योरैन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0, 56 राजपुर रोड, क्लासिक होटल के पीछे, देहरादून।
18. निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड।
19. संयुक्त निदेशक, कृषि सांख्यिकी।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव